रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86] नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 1983/ज्येष्ठ 4, 1905
No. 86] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 1983/JAIYSTHA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(सरकारी उद्यम कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 25 मई, 1983

सं० 1(1)/83-स० उ० का० (डब्लू० सी०).—सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता संदाय फार्मूला की समीक्षा करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की है। जिसमें भारत सरकार, केन्द्रीय मजदूर संगठनों तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति का गठन इस प्रकार है:—

1. श्रम मंत्री	अध्यक्ष	
2. सचिव, व्यय विभाग	सरकारी प्रतिनिधि	
3. सचिव, श्रम विभाग		
4. सचिव, भारी उद्योग विभाग		
5. सचिव, खान विभाग		
6. सचिव, रसायन एवं उर्वरक विभाग		
7. महानिदेशक, सरकारी उद्यम कार्यालय		
8. श्री के० के० राव, निदेशक (वित्त), इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज	सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि	
9. श्री एम० आर० आर० नायर, निदेशक (कार्मिक), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०		
10. श्री ओ० महिपति, सलाहकार (पी० एण्ड आई० आर०), कोल इण्डिया लि०		
11. श्री विमल कपूर, निदेशक (कार्मिक), भारतीय तेल निगम,		
12. श्री आई०पी० हजारिका, निदेशक, (कार्मिक), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन		
13. श्री सी० एस० मल्होत्रा, प्रबन्धक (कार्मिक), इण्डियन एयर लाइन्स,		
14. डा० एम० के० पांधे, सचिव "सीटू", 6-तालकटोरा मार्ग, नई दिल्ली-1	केन्द्रीय मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि	
15. श्री राजकृष्ण भक्त, भारतीय मजदूर संघ, 115, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली,-1		

16. श्री गोपेश्वर, सदस्य "इन्टक" कार्यकारी समिति, 26 के रोड़ जमशेदपुर-1. 17. श्री राघु कुलकर्णी, सदस्य "इटंक" कार्यकारी समिति, तेल रसायन भवन,. तिलक रोड़, दादर, बम्बई-14. 18. श्री होमी एफ. दाजी, उपाध्यक्ष, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 3/40 विधायक विश्राम गृह, भोपाल-462001 19. श्री एस० आर० कुलकर्णी महासचिव, हिन्द मजदूर सभा, पी० डी० मेलो रोड़, करनाक बन्दर, बम्बई-400038, 20 श्री डी० डी० वशिष्ट, महासचिव, हिन्द मजदूर सभा, 12 चेम्सफोर्ड रोड़ नई दिल्ली।	केन्द्रीय मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि

2. इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:—

(i) क्या अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल सूचकांक (शिमला श्रृंखला 1960=100) में प्रत्येक अंक की घटा-बढ़ी पर 1.30 रुपये वाले वर्तमान औद्योगिक महंगाई भत्ता फार्मूले में कोई वृद्धि करना अपेक्षित है, अथवा नहीं,

(ii) यदि है, तो कितनी वृद्धि अपेक्षित है,

(iii) सरकारी क्षेत्र में महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए इस सामान्य पद्धति की केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों, संगठित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और असंगठित औद्यौगिक कामगारों तथा ग्रामीण खेतिहर मजूदरों पर प्रतिक्रिया।

(iv) मंहगाई भत्ता परिशोधन की आवृत्ति जिसे इस समय कामगारों के लिए तिमाही आधार पर तथा अधिकारियों के लिए छमाही आधार पर तय किया जाता है, और

(v) महंगाई निष्प्रभावन का प्रतिशत (महंगाई भत्ते की राशि तथा मूल्य स्तर में वृद्धि का प्रतिशत जिसका इससे निष्प्रभावन किया जाता है, के अनुसार प्रत्येक अंक पर मंहगाई भत्ते की राशि निर्धारित की जाती है, जो तदनुरुप वेतन स्तर के अनुसार देय होगी। वर्तमान पद्धत्ति के अन्तर्गत सामान्यत: न्यूनतम वेतन स्तर पर महंगाई का पूर्ण अथवा अधिकांशत: निष्प्रभावन किया जाता है जो कि वेतन स्तर के बढ़ने के साथ-साथ कम होता चला जाता है)।

3. यह समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

4. समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने से एक महिने की अवधि के भीतर इस त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशो पर सरकार केन्द्रीय मजदूर संगठनों के परामर्श से निर्णय करेगी।

5. वित्त मंत्रालय सरकारी उद्यम कार्यालय मे सलाहकार (वित्त) अपने मौजूदा कार्यों के अतिरिक्त समिति के सचिव रूप मे कार्य करेंगे। निदेशक (मजदूरी) समिति की सभी बैठको में उपस्थित होंगे।

सी० वेंकटरामन् **विशेष सचिव**

MINISTRY OF FINANCE

(Bureau of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th May, 1983

No. 1 (1)/83-BPE (WC).—Government is pleased to appoint a Tripartite Committee consisting of representatives of Government of India, Central Trade Union Organisations and the Public Sector Enterprises to review the formula for payment of D. A. to the employees of the Central Public Sector Enterprises. The composition of the Committee will be as follows:

1. Minister for Labour	Chairman
2. Secretary, Department of Expenditure 3. Secretary, Department of Labour 4. Secretary, Department of Heavy Industry 5. Secretary, Department of Mines 6. Secretary, Department of Chemicals & Fertilizers 7. Director General, Bureau of Public Enterprises	Representing Government
8. Shri K. K. Rao, Director (Finance), Indian Telephone Industries 9. Shri M. R. R. Nair, Director (Personnel), Steel Authority of India Ltd., 10. Shri O. Mahipathee Adviser (P&IR), Coal India Ltd. 11. Shri Bimal Kapur, Director (Personnel), Indian Oil Corporation, 12. Shri I. P. Hazarika, Director (Personnel), National Thermal Power Corpn. 13. Shri C. S. Malhotra, Manager (Personnel), Indian Airlines.	Representing Public Sector

14. Dr. M. K. Pandhe, Secretary, CITU, 6, Talkatora Road, New Delhi-1.
15. Shri Raj Kishan Bhakt, Bharatiya Mazdoor Sangh 115, South Avenue, New Delhi.
16. Shri Gopeshwar, Member, INTUC Working Committee, 26- K Road, Jamshedpur 1
17. Shri Raja Kulkarni, Member, INTUC Working Committee, Tel Rasayan Bhavan, Tilak Road, Dadar, Bombay-14
18. Shri Homi F. Daji, Vice-President, AITUC, 3 / 40 MLA Rest House, Bhopal-462 001
19. Shri S. R. Kulkarni, General Secretary, Hind Mazdoor Sabha, P.D. Mello Road, Karnac Bunder, Bombay-400038
20. Shri D. D. Vasisht, Gereral Secretary, Hind Mazdoor Sabha, 12 Chelsmford Road, New Delhi

} Representing Central Trade Union Organisations

2. The terms of reference of the Committee would be follows :

(i) Whether any enhancement in the present industrial D.A formula of Rs. 1.30 per point shift in the All India Consumer Price Index (Simla Series 1960=100) is called for or not;

(ii) if so, what enhancement is required;

(iii) the repercussions of the across-the-board approach for enhancing DA in the public sector, on Central and State Government servants, organised private sector employees, unorganised industrial workers and rural agricultural workers,

(iv) The frequency of DA revision which at present is reckoned on quarterly basis in the case of workers and on six monthly basis in the case of Officers; and

(v) The percentage of neutralisation (the quantum of DA and the percentage increase in the price level which it has to neutralise, determines the amount of DA per point that would be payable at corresponding pay levels.' The existing practice is generally in favour of full or near full neutralisation at the lowest level which goes on decreasing as pay level goes up).

3. The Committee will submit its report within three months.

4. Government decisions on recommendations of the Tripartite Committee will be taken in consultation with the Central Trade Union Organisations within one month of the submission of the report by the Committee.

5. Adviser (Finance) in the Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises, will act as Secretary to the Committee, in addition to his current duties. Director (Wages) will be in attendance at all the meetings of the Committee.

C. VENKATARAMAN, Special Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983